ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री बलवीर सिंह	01.04.2014 से 21.01.2016
2	श्री प्रीतम पाल	23.1.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री तिलक राज	1.4.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.02
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	11.48

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री मनमोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.8.17 से 5.9.17 तक ग्राम पंचायत कनेड के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु माह 2/15, 2/16 व 8/16 एवं व्यय के लिए माह 12/14, 1/16 व 2/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशलाा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26–28 दिनांक 5.9.2017 द्वारा सचिव, पंचायत कनेड से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 586790 दिनांक 28.2.2018 द्वारा भुगतान कर दिया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

4.1 स्वःस्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत कनेड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वःस्त्रोतः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	219757	48563	10179	278499	42856	235643
2015–16	235643	18250	11924	265817	31133	234684
2016–17	234684	74331	11764	320779	44282	276497

(ii) अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	345202	1885793	17369	2248364	1667861	580503
2015–16	580503	2085093	20284	2685880	2116848	569032
2016–17	569032	3607069	37994	4214095	3066407	1147688
					कुल योग	**₹1424185**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	20121009790	361509
2	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051578648	40279
3	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051599261	8421
4	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051599216	11353
5	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051620976	48686
6	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051620932	0
7	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051599090	1602
8	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051580986	3120
9	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50057335778	6022
10	कॉ0के0 सहकारी बैंक योल कैम्प	50051578706	941726
11	हस्तगत राशि		1467
		कुल योग	**₹1424185**

G.P. Kaned

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

5.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत कनेड की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखांकन में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत कनेड की रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है तथा न तो माह के अन्त में अन्तशेष निकाला जा रहा है न ही प्रत्येक माह की अन्तशेष राशि का मिलान बैंक में जमा राशि से किया जा रहा है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यवाही बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचातय कनेड द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय –व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेशः–

ग्राम पंचायत कनेड में अंकेक्षण अवधि के दौरान सभा निधि से किसी भी प्रकार की राशि का निवेश सावधि जमा (Fixed Deposit) योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। अंकेक्षण का सुझाव है कि पंचायत निधि के अधिशेष राशि को सावधिक जमा योजना में निवेशित किया जाए ताकि ब्याज की उच्च दर अर्जित की जा सके।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.02 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत कनेड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व ₹2000 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

क्र0सं0	वर्ष	मोबाईल टावर का नाम	पिछला बकाया	देय राशि	कुल योग	प्राप्त राशि	शेष राशि
1	2015–16	एयरटेल	–	6000	6000	6000	शून्य
2	2016–17	एयरटेल	–	2000	2000	शून्य	2000
						कुल योग	**₹2000**

9 अनुदान ₹11.48 लाख का अवरोधनः–

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना क अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1147688 **परिशिष्ट "II"** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों

के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बिलों का भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ही बिलों का भुगतान कर दिया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक भुगतान को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित करने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः बिना पूर्व स्वीकृति के बिलों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वाँछित कार्यवाही अब अमल में लाई जायेः–

क्र0सं0	वा0सं0	मस्ट्रोल सं0	राशि	
1	126	02.01.2016	2710	श्रमिकों को भुगतान
2	128	02.01.2016	2981	श्रमिकों को भुगतान
3	130	02.01.2016	1084	श्रमिकों को भुगतान
4	132	02.01.2016	3252	श्रमिकों को भुगतान
5	133	02.01.2016	1897	श्रमिकों को भुगतान
6	136	02.01.2016	2439	श्रमिकों को भुगतान
7	138	02.01.2016	3252	श्रमिकों को भुगतान
8	139	02.01.2016	28512	श्रमिकों को भुगतान
9	140	02.01.2016	2439	श्रमिकों को भुगतान
10	143	02.01.2016	3252	श्रमिकों को भुगतान
11	145	02.01.2016	3523	श्रमिकों को भुगतान
12	148	02.01.2016	22686	श्रमिकों को भुगतान
13	149	02.01.2016	1897	श्रमिकों को भुगतान
14	150	02.01.2016	17496	श्रमिकों को भुगतान

15	151	02.01.2016	1626	श्रमिकों को भुगतान
16	102	03.02.2017	17700	श्रमिकों को भुगतान
17	103	03.02.2017	31382	श्रमिकों को भुगतान
18	104	03.02.2017	20083	श्रमिकों को भुगतान
19	105	03.02.2017	6970	श्रमिकों को भुगतान
20	106	03.02.2017	1355	श्रमिकों को भुगतान
21	107	03.02.2017	8160	श्रमिकों को भुगतान
22	108	03.02.2017	1355	श्रमिकों को भुगतान
23	110	03.02.2017	26550	श्रमिकों को भुगतान
24	133	23.02.2017	9860	श्रमिकों को भुगतान
25	134	23.02.2017	1084	श्रमिकों को भुगतान

11 औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ₹0.05 का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। परन्तु वाउचर संख्या 105 दिनांक 22.4.14 की जाँच में पाया गया कि सीमेन्ट डुलाई के लिए ₹5400 का भुगतान श्री लियाकत अली को औपचारिकताऐं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही कर दिया जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न

रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2	निर्माण कार्य रजिस्टर
3	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
4	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
5	विकास निष्पादन रजिस्टर
6	पेशगी रजिस्टर

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 200/2018–खण्ड–1–2674–2677 दिनाँक 17.04.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कनेड, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881